देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 24 /2022

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःसितम्बर 8,2022

विषयः प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों के प्रसार को रोकने, अफवाहों को लेकर भीड़ द्वारा कारित हिंसात्मक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रदेश के कई जनपदों में बच्चा चोरी की घटना की अफवाहें फैला कर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट व अराजकता फैलाने जैसी कुछ घटनायें प्रकाश में आयी है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बच्चा चोरी के संदेह पर अथवा अफवाहों पर विश्वास करके अनजान व्यक्तियों, भिखारी, साधुवेशधारी, अर्द्धविक्षिप्त व्यक्ति तथा महिलाओं के साथ उग्र भीड़ द्वारा धक्का-मुक्की, मारपीट तथा हत्या तक की घटनायें घटित हो जाती है। प्रदेश के बाहर यथा मध्य प्रदेश, बिहार व अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार की घटनायें घटित हुयी है। इस प्रकार की घटनायें मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित होने के कारण न केवल आम जनमानस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है वरन् इससे मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) जैसी वीभत्स घटना की सम्भावना बनी रहती है।

डीजी-परिपत्र संख्या-41/2018, दिनांक 26.07.2018
पत्र सं0ःडीजी-आठ-94(21)2017, दिनांक 28.08.2019
डीजी-परिपत्र संख्या-39/2019, दिनांक 13.09.2019
अर्द्धशास0 पत्र संःडीजी-आठ-94(21)2021, दिनांक 09.09.2021

अतः बच्चा चोरी की मिथ्या अफवाहों पर विराम लगाने तथा बच्चा चोरी जैसी किसी भी घटना के होने पर अत्यन्त संवेदनशील होकर तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन व कार्यवाही अपेक्षित हैः-

- बच्चा चोरी की किसी भी घटना की सूचना को चाहे वह अफवाह हो अथवा वास्तविक घटना हो, पर उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाये। बच्चों के गुमशुदगी/अपहरण के प्रकरणों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर गम्भीरतापूर्वक विवेचनात्मक कार्यवाही व बरामदगी की जाये।
- जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों (आरक्षी से अपर पुलिस अधीक्षक तक) को इस सम्बन्ध में उच्चकोटि की संवेदनशीलता बरतने हेतु निर्देशित किया जाये। ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होते ही आरक्षी से उच्च स्तर तक के अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुँचें। समस्त पुलिस कर्मियों की इस सम्बन्ध में नियमित ब्रीफिंग होनी चाहिए। सभी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि घटना स्थल पर जाना अनिवार्य है। यदि सूचना असत्य है तो उसके सम्बन्ध में तद्नुरूप कार्यवाही की जाये, मात्र दूरभाष से घटना की सत्यता की परख न की जाये।

- उक्त घटना स्थल थाने से अथवा उस क्षेत्र में मौजूद थाने के किसी भी कर्मचारी की पहुँच से दूर है तो थानाध्यक्ष अथवा थाने के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, जिसके पास इस सम्बन्ध में सूचना पहुँचती है, का दायित्व होगा कि वह घटना स्थल के आस-पास के गॉव/मोहल्लों के पीस कमेटी के सदस्यों, डिजीटल वॉलिण्टियर, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों, सिविल डिफेन्स के सदस्यों, ग्राम प्रधान/सभासद अथवा उस क्षेत्र के किसी भी जिम्मेदार एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को सूचित कर उन्हें घटना स्थल पर पहुँच कर लोगों को समझाने व स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु अनुरोध कर लें।
- उक्त के अतिरिक्त उस गॉव अथवा आस-पास के क्षेत्र में निवास करने वाले पुलिस पेंशनर्स अथवा भूतपूर्व सैनिक से भी घटना स्थल पर तत्काल पहुँचकर स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु अनुरोध किया जाये।
- बच्चा चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित अफवाहों के प्रसार को रोकने हेतु जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य विभागों पर अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी कर ली जाये। वार्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील तथा नगर निगम के जोनल कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आम जनमानस को किसी अफवाह पर विश्वास न करने के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु उनकी समुचित ब्रीफिंग की जाये। समस्त गॉवों तथा मोहल्लों में पीस कमेटी के सदस्यों, सिविल डिफेन्स के पदाधिकारियों, ग्राम प्रधान, सभासद तथा अन्य सम्मानित लोगों के साथ स्थानीय निवासियों की गोष्ठी कर उनको बच्चा चोर की अफवाहों पर विश्वास न करने तथा कानून अपने हाथ में लेकर किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध मे जागरूक किया जाये।
- पुलिस के आकस्मिक सहायता के नम्बरों यथा-डायल-112, स्थानीय कन्ट्रोल रूम के नम्बर तथा थाने व जनपदीय अधिकारियों के सीयूजी नम्बरों के सम्बन्ध मे समुचित जानकारी दी जाये। उन्हें यह भी बताया जाये कि किसी अफवाह अथवा घटना के सम्बन्ध में उक्त नम्बरों पर तत्काल सूचित करते हुए वास्तविक स्थिति की जानकारी करें तथा आवेश में आकर कोई भी हिंसात्मक गतिविधि का हिस्सा न बनें।
- यदि इस प्रकार की किसी घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल निकटतम चिकित्सालय में उपचार हेतु पहुँचाया जाये। यदि पी0आर0वी0 वैन मौके पर है, तो अस्पताल भेजने में उसका प्रयोग भी किया जाये। इस सम्बन्ध में जनपद में उपलब्ध सभी पी0आर0वी0 कर्मियों को विशिष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया जाये।
- Public Address System एवं पी0आर0वी0 वाहनों में उपलब्ध माइक एवं लाउडहेलर के माध्यम से जनता को ऐसी अफवाहों से दूर रहने एवं कानून को अपने हाथ में न लेने हेतु हिदायत दी जाये तथा उन्हें आश्वस्त किया जाये कि स्थानीय पुलिस उनका सहयोग करने हेतु तत्पर एवं सक्षम है। वे इस सम्बन्ध में ऐसी किसी भी अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त न हों।
- इस प्रकार की घटना कारित करने वाले भीड़ में शामिल सभी व्यक्तियों की शिनाख्त कर उनके विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाये। अफवाह फैलाने के आधार पर हिंसा की प्रत्येक ऐसी घटना के सम्बन्ध में अभियोग संगत धाराओं में अवश्य पंजीकृत किया जाये तथा 7 सी0एल0ए0 एक्ट का समावेश अवश्य किया जाये।
- हिंसा कारित कर लोक शान्ति भंग करने वाले एवं अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन0एस0ए0) की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट को समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुये अनुरोध कर लिया जाये।

- ऐसी सभी घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर 15 दिवस में पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जाये तथा अभियोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने हेतु मॉनीटरिंग सेल की मासिक बैठक में जिला मजिस्ट्रेट एवं जनपद न्यायाधीश से विशेष अनुरोध कर लिया जाये।
- सभी पी0आर0वी0 वाहनों एवं गश्त मोबाइलों को इस दिशा में और अधिक क्रियाशील बनाया जाये तथा इसके निमित्त राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से उनके साथ सीधा संवाद करते हुये उन्हें संवेदनशील बनाया जाये एवं उन्हें यह निर्देशित किया जाये कि इस प्रकार की घटना की रोकथाम शासन तथा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
- जनपद के फायर सर्विस के सभी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में सतर्क कर दिया जाये कि वे ऐसी किसी सूचना पर, जिसमे बच्चा चोरी की अफवाह पर यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो वे त्वरित रूप से मौके पर पहुॅचकर अपनी ड्रिल के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करें।
- सामान्यतः सभी ग्रामों में ग्राम प्रहरी (चौकीदार) उपलब्ध रहते हैं तथा आप अवगत हैं कि ग्राम प्रहरी पुलिस का अभिन्न अंग हैं और स्थानीय निवासी होने के कारण क्षेत्र में वे सामान्यतः सभी से परिचित होते हैं तथा उनका एक महत्वपूर्ण स्थान उस क्षेत्र में होता है। अतः ग्राम प्रहरियों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये थानाध्यक्ष उनके साथ तत्काल एक गोष्ठी आयोजित कर उन्हें इस सम्बन्ध में संवेदनशील बनाते हुये उन्हे निर्देशित करें कि वे ऐसी किसी भी घटना, जो उनके क्षेत्राधिकार में यदि घटित होती हैं, तो वे मौके पर तत्काल पहुॅचेंगे तथा अपने बीट के पुलिस कर्मियों/थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे तथा जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देने हेतु आवश्यक उपाय करेंगे।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सक्रिय करते हुये ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित करने का दायित्व सौपा जाये। तदोपरान्त ऐसे व्यक्तियों को सचेत करते हुये उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये, ताकि वे ऐसी कोई अफवाह न फैला सकें।
- कम्यूनिटी पुलिसिंग के लिये उ0प्र0 पुलिस द्वारा विकसित C-Plan App का महत्तम प्रयोग कर जनता के ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से सम्पर्क कर अफवाह फैलाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करने एवं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। बच्चा चोरी की अफवाहों पर नियन्त्रण हेतु जनपद की सोशल मीडिया टीम को सक्रिय करते हुए डिजीटल वॉलिण्टियर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।
- जनपद में भीड़ द्वारा हिंसा कारित करने, मॉब लिंचिंग तथा बच्चा चोरी की अफवाहें फैला कर हिंसात्मक घटनाओं से सम्बन्धित विगत 05 वर्ष की घटनाओं तथा पंजीकृत अभियोगों को थानावार सूचीबद्ध कर लिया जाये। समस्त घटनाओं के अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराये जिससे उनके द्वारा पुनः इस प्रकार की घटना कारित न की जा सके। पूर्व में घटित घटनाओं व अभिसूचना संकलन के आधार पर जनपद में Vulnerable Places व हॉटस्पॉट (HotSpots) चिन्हित कर वहॉ समुचित बैरियर स्थापित कर पिकेट ड्यिूटी लगा कर वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यपेक्षण में चेकिंग करायी जाये। उक्त वल्नरेबल क्षेत्रों तथा हॉस्पॉट्स पर यू0पी0-112 के वाहनों तथा जनपद की गश्त टीमों द्वारा सघन गश्त/पेट्रोलिंग की जाये। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक पुलिस/पी0ए0सी0 बल के साथ नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये।

- जनपद के सोशल मीडिया सेल द्वारा 24x7 मॉनीटरिंग करते हुए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम पर बच्चा चोरी से सम्बन्धित अफवाहों व मिथ्या सूचनाओं का तत्काल खण्डन करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- स्थानीय समाचार पत्रों, केबिल टीवी एवं सिनेमा घरों में पब्लिक नोटिस के माध्यम से जनता को ऐसी अफवाहों से बचने हेतु अपील की जाये। जिला मजिस्ट्रेट से भी अनुरोध कर लिया जाये कि वे जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से इस प्रकार की अफवाहों की तत्काल रोकथाम के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करायें।
- जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं द्वारा लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरों को सूचीबद्ध कर उनकी क्रियाशीलता का परीक्षण कर लिया जाये। बच्चा चोरी एवं बच्चा चोरी की अफवाह से सम्बन्धित चिन्हित हॉट स्पाट्स पर स्थानीय प्रशासन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से नये सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने हेतु कार्यवाही की जाये।
- जनपद में इधर-उधर निराश्रित भटक रहे अर्द्धविक्षिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें नियमानुसार उनके परिजनों को सुपुर्द करने, अस्पताल भेजने आदि की कार्यवाही स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से की जाये। इस सम्बन्ध में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम-1987 के प्रावधानों का सम्यक अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही करायी जाये।
- उक्त के अतिरिक्ति अपने जनपद की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप इस सम्बन्ध में एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर अपने जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में अपना शत्-प्रतिशत योगदान देने हेतु प्रेरित करें।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें, जिससे अवांछित सूचना/अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके तथा मॉब लिंचिंग/भीड़ हिंसा की घटनाओं की रोकथाम दृढ़ता से की जा सके, ताकि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति बनी रहे।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
08/07/2022

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ
2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
4-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
6-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।